प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 11.06.2019 को राज्य के सभी नगर निकायों के नगर आयुक्तों/कार्यपालक पदाधिकारियों/प्रतिनिधियों के साथ आयोजित विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की कार्यवाही–

उपस्थिति– पंजी के अनुसार।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 11.06.2019 को राज्य के सभी नगर निकायों के नगर आयुक्तों/कार्यपालक पदाधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं यथा केन्द्र प्रायोजित योजना, राज्य योजना आदि की समीक्षा बैठक विभागीय सभाकक्ष में की गयी। बैठक के क्रम में निम्नवत निर्देश दिये गये :–

SBM -

IHHL/Community Toilet की समीक्षा :–

- स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सभी नगर निकायों को 31, जुलाई, 2019 तक ODF घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सभी नगर निकाय अंतर्गत IHHL के सभी लाभुकों का शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण करवाकर द्वितीय किस्त का भुगतान सुनिश्चित करवाएँ। वैसे नगर निकाय, जहाँ प्रथम अभी भी देना बाकी है, वे तीन दिनों के अंदर सभी लाभुकों को प्रथम किस्त देना सुनिश्चित करें। नगर निकायों के IHHL एवं सामुदायिक शौचालय निर्माण के प्रगति की समीक्षा की गई, जो निम्नवत् है :–
- **नगर निगम आरा** :– नगर आयुक्त आरा द्वारा बताया गया कुल 4,163 लाभुकों को द्वितीय किस्त दी जानी है, जिसमें से 1,131 लाभुकों का फोटो अपलोड किया गया है, 309 लाभुकों का डाटा अपडेट होना है, 1,447 वैसे लाभुकों को नोटिस दिया गया है, जिन्हें प्रथम किस्त उपलब्ध कराये जाने के उपरांत भी उनके द्वारा शौचालय निर्माण कार्य नहीं किया गया है। निदेश दिया गया कि प्रतिदिन 150 से 200 लाभुकों को राशि उपलब्ध करवाई जाए ताकि निर्धारित समय सीमा के अंदर लक्ष्य की प्राप्ति हो सके।
- **सहरसा** :– सहरसा का April एवं May का प्रगति संतोषजनक है। वर्तमान में 700 फोटो का verification का कार्य चल रहा है। एक सप्ताह के अंदर 700 अन्य लाभुकों को भी राशि उपलब्ध करवा दी गई है एवं community toilet का कार्य complete कर लिया गया है।
- **बेनीपुर** :– बेनीपुर में 3,195 लाभुकों को द्वितीय किस्त दी जाती है। कार्यपालक पदाधिकारी बेनीपुर द्वारा जानकारी दी गई। 80 वैसे लाभुक, जो राशि उपलब्ध करवाये जाने के बाद भी शौचालय निर्माण कार्य नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। 2,000 के करीब लाभुक का नाम HFA में है, जिसमें से 1,209 को HFA से प्रथम किस्त प्राप्त है। इस पर निदेश दिया गया कि Nodal Officer से संपर्क कर इसे adjust करवा लिया जाए।
- **मधेपुरा** :– मधेपुरा कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि दस–दस व्यक्ति पर FIR किया गया है। 37 लाभुकों को प्रथम किस्त दी जानी है। निदेश दिया गया कि 02 सप्ताह के अंदर अपना Progress दिखायें। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा पुनः बताया गया कि एक सप्ताह के अंदर community toilet के निर्माण हेतु भूमि Final किया जाएगा, नहीं तो Mobile Toilet क्रय हेतु GeM पर निविदा की जाएगी।
- **रिविलगंज** :– 3,162 लाभुकों को द्वितीय किस्त दी जानी है। प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि Excel Sheet में report बनाकर ICICI Bank को उपलब्ध कराया जाए एवं उनके साथ समन्वय स्थापित कर साथ ही शुक्रवार एवं शनिवार को Camp कर बचे हुए लाभुकों को द्वितीय किस्त प्रदान की जाए।

सभी नगर निकायों को निदेश दिया गया कि 30 जून, 2019 तक शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण करवाया जाए एवं सभी लाभुकों को द्वितीय किस्त प्रदान की जाए। साथ ही ऐसे लाभुक, जिनके पास शौचालय निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है, उनके लिए सामुदायिक शौचालय का निर्माण जल्द से जल्द

कराया जाए। सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु भूमि अनुपलब्धता की स्थिति में उन्हें Mobile Toilet से आच्छादित किया जा सकता है। Mobile Toilet के क्रय हेतु उपलबध कराए गए विभागीय दिशा निर्देश का पालन करना आवश्यक है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु किए गए कार्यों की समीक्षा :–

- निदेश दिया गया कि वैसे सभी नगर नगर निकाय, जिनके पास processing कार्य हेतु भूमि उपलब्ध हो, वे जल्द से जल्द Compost Pit का निर्माण कार्य विभागीय रूप से करवाना सुनिश्चित करें एवं 31 जुलाई, 2019 तक सभी नगर निकायों में Processing का कार्य प्रारंभ करने का निदेश दिया गया।
- वैसे सभी नगर निकाय, जिनके शत–प्रतिशत वार्डों में Door to Door कचरे के संग्रहण का कार्य नहीं हो रहा हो, वे 30 जुलाई, 2019 तक इस कार्य को प्रारंभ करना सुनिश्चित करें।
- समीक्षा के क्रम में कुछ नगर निकायों द्वारा जानकारी दी गई कि उन्हें 10 किमी. से ज्यादा की दूरी पर Sanitary Landfill Site मिल रहा है, परन्तु विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देश में अधिकतम दूरी 10 किमी. (populationless) अंकित किया गया है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि यदि किसी नगर निकाय को दिशानिर्देश की अपेक्षा हो तो विभाग को प्रतिवेदित करें।
- वैसे सभी नगर निकाय, जिन्हें अभी तक processing हेतु भूमि प्राप्त नहीं हुई है, वे जल्द से जल्द EOI के माध्यम से भूमि लेना सुनिश्चित करें एवं तय समय सीमा के अंदर processing कार्य प्रारंभ करें।
- समीक्षा के क्रम में जानकारी उपलब्ध हुई कि कई नगर निकायों द्वारा अभी तक ठोस अपशिष्ट के परिवहन में प्रयुक्त होने वाले वाहनों में partition का कार्य (सूखा एवं गीला) नहीं करवाया गया है। इस पर निदेश दिया गया कि इस कार्य को एक सप्ताह के अंदर पूर्ण करवाया जाए।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)–

- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत एजेंसी के माध्यम से सभी नगर निकायों में HFAPoA एवं AIP तैयार करने का कार्य किया जा रहा है। योजना के 03 वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी 27 नगर निकायों द्वारा HFAPoA एवं AIP बोर्ड से पास कराकर विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस सम्बन्ध में वैसे नगर निकायों को निदेश दिया गया कि परामर्शी संस्था से समन्वय स्थापित करके HFAPoA एवं AIP जुलाई माह के अंत तक विभाग को उपलब्ध कराया जाए।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के BLC घटक में अब तक 246184 आवासीय इकाई स्वीकृत किये गये हैं, जिसके विरूद्व अब तक केवल 102748 लाभुकों को ही कार्यादेश निर्गत किया गया है एवं केवल 70363 लाभुको को ही प्रथम किस्त का भुगतान किया गया है, जो की अत्यंत चिंताजनक है। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी कई बार पत्र के माध्यम से परियोजनावार स्वीकृत लाभुको का भारत सरकार के पोर्टल पर MIS Entry, DPR से संबद्व करके कार्यदेश निर्गत करने एवं Geo-Tagg कराकर राशि का भुगतान किये जाने का निदेश दिया गया था।

  इस सम्बन्ध में पुनः निदेश दिया गया कि सभी नगर निकाय अभियान चलाकर परियोजनावार स्वीकृत लाभुकों का शत्–प्रतिशत MIS Entry एवं DPR से संबद्व कराके कार्यादेश निर्गत किया जाए एवं Geo-Tagg कराकर राशि का भुगतान इस माह के अंत तक किया जाए। यदि किसी कारण से परियोजना में स्वीकृत लाभुकों का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाना संभव न हो तो उसे प्रत्यर्पित किया जाए।
- परामर्शी संस्था द्वारा किये गये Demand Survey में BLC घटक के अंतर्गत प्राप्त आवेदन एवं निकाय द्वारा स्वीकृत कराये गये आवासों के बीच काफी अंतर पाया गया है। इस सम्बन्ध में निदेश दिया गया कि नगर निकायों द्वारा मांग के अनुरूप BLC घटक के शत प्रतिशत लाभुकों का प्रस्ताव जुलाई माह तक विभाग को भेज दिया जाए।

- वैसे लाभार्थी, जो स्लम में रह रहें हैं, उनका HFAPoA के अंतर्गत चयनित एजेंसी के माध्यम से सर्वे कराकर आधार नंबर के साथ सूचीबद्ध कराकर विभाग को सूचित किया जाय ताकि ऐसे लाभुकों के लिए जमीन चिन्हित किया जा सके एवं योजना का लाभ दिया जा सके।

AMRUT योजना –

पार्क विकास योजना :–

- बैठक में उपस्थित नगर निकायों के प्रतिनिधि को निदेश दिया गया कि AMRUT पार्क योजना अन्तर्गत Non-Schedule item सहित सभी अवशेष कार्य अविलम्ब पूर्ण कराया जाय।

  [अनुपालन : नगर निकाय मोतिहारी, गया, किशनगंज, दरभंगा, सिवान, छपरा, बक्सर, सासाराम, आरा, सहरसा, मुंगेर, बेतिया, औरंगाबाद, बिहारशरीफ, पटना, BUIDCo एवं PDMC (AMRUT)]

- बैठक में उपस्थित नगर निकायों के प्रतिनिधि को निदेश दिया गया कि AMRUT पार्क योजना अन्तर्गत सभी पार्कों की निविदाओं का निष्पादन कराकर अविलम्ब कार्य पूर्ण कराया जाय।

  [अनुपालन : नगर निकाय पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ, दरभंगा, गया, मोतिहारी, बोधगया, जहानाबाद, BUIDCo एवं PDMC (AMRUT)]

- बैठक में उपस्थित नगर निकायों के प्रतिनिधि को निदेश दिया गया कि AMRUT पार्क योजना अन्तर्गत अविलम्ब उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय।

  [अनुपालन : नगर निकाय, मोतिहारी, गया, किशनगंज, दरभंगा, सिवान, छपरा, बक्सर, सासाराम, आरा, सहरसा, मुंगेर, बेतिया, औरंगाबाद, बिहारशरीफ एवं पटना]

जलापूर्ति योजना :–

- AMRUT योजना से आच्छादित सभी नगर निकायों के प्रतिनिधि से विभागीय पत्रांक 1420 दिनांक–06.06. 2019 के आलोक में नगर निकाय क्षेत्र अन्तर्गत Water Supply, Drainage एवं Sewerage के पम्पों से संबंधित सूचना विहित प्रपत्र में तुरंत समर्पित करने का निदेश दिया गया।

  [अनुपालन : AMRUT अन्तर्गत सभी नगर निकाय, BUIDCo एवं PDMC (AMRUT)]

- बैठक में उपस्थित नगर निकायों के प्रतिनिधि को निदेश दिया गया कि जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं FSSM से संबंधित सभी अवरोधों (जमीन सहित) को अविलम्ब दूर कराया जाय।

  [अनुपालन : नगर निकाय–आरा, औरंगाबाद, बेगूसराय, बेतिया, भागलपुर, बिहारशरीफ, बक्सर, छपरा, दरभंगा, डेहरी, हाजीपुर, जमालपुर, जहानाबाद, कटिहार, किशनगंज, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णियाँ, सहरसा, सासाराम, सिवान, BUIDCo एवं PDMC (AMRUT)]

NULM योजना :–

- आश्रय स्थल के संचालन में कार्यरत ALO का भुगतान समय से दिये जाने हेतु निदेश दिया।
- आश्रय स्थल को जल्द से संचालित करने का निदेश नगर निकायों को दिया गया।
- आश्रय स्थल में लाभुको के निवास हेतु आश्रय स्थल का प्रचार–प्रसार हेतु नगर निकायों को निदेश दिया गया।
- स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से आश्रय स्थल में निवास करने वाले लाभुको को लाभ पहुचाने का निदेश दिया गया।
- फुटपाथ विक्रेताओं को ID कार्ड को प्रिन्ट कराकर वितरण किये जाने का निदेश दिया गया।
- वेडिंग जोन के प्रस्ताव में सभी दस्तावेज संलग्न कर विभाग को भेजने का निदेश दिया गया।
- सभी नगर निकायों को CO और CRP के जल्द से जल्द चयन करने का निदेश दिया गया।

- स्वयं सहायता समूह एवं क्षेत्र स्तरीय संघ को चक्रचालित राशि के वितरण हेतु नगर निकायों को निदेश दिया गया।
- क्षेत्र स्तरीय संघ का जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराये जाने का निदेश नगर निकायों को दिया गया।

नाली–गली निश्चय योजना :–

- "मुख्यमंत्री शहरी नाली–गली पक्कीकरण" निश्चय योजना में अब तक कराए गए कार्यों तथा निश्चय योजना के शत–प्रतिशत कार्यान्वयन हेतु वांछित राशि से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के लिए विहित प्रपत्रों में मांग की गयी है। उक्त प्रपत्रों के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए अविलम्ब प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश सभी नगर आयुक्तों/कार्यपालक पदाधिकारियों को दिया। कुछ कार्यपालक पदाधिकारियों ने इस संबंध में नोडल पदाधिकारी से भी पृच्छा की एवं उनकी पृच्छा का निवारण किया गया।

नल–जल निश्चय योजना :–

- **लखीसराय:–** कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि आपदा प्रबंधन से स्वीकृत, 02H.P मोटर से शेष घरों में stand post के अतिरिक्त गृह जल संयोजन करने से सभी वार्ड आच्छादित हो जाएगें। उक्त के आलोक में लखीसराय के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
- **विक्रमगंज:–** कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 09 वार्डों के निविदा का निविदा आमंत्रण सूचना प्रकाशनार्थ IPRD को दिनांक–30.05.2019 को भेज दिया गया है।
- **कोचस:–** 04 वार्ड का निविदा आमंत्रण सूचना प्रकाशनार्थ IPRD में भेज दिया गया है तथा 2 वार्ड के अन्तर्गत 4 योजनाओं का एकरारनामा हो गया है तथा आज से कार्य शुरू हो जाएगा।
- **बिहियाँ:–** कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कनीय अभियंता के नहीं रहने के कारण प्राक्कलन नहीं बन रहा है। बैठक में उपस्थित नगर पंचायत, शाहपुर के कनीय अभियंता को निदेश दिया गया कि वे नगर पंचायत, बिहियाँ में निश्चय योजनाओं के प्राक्कलन का निर्माण इत्यादि कर दिनांक–20.06.2019 तक निविदा प्रक्रिया पूर्ण करें।
- **रोसड़ा:–** कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 11 वार्ड का प्राक्कलन काफी दिनों से बुडको में लम्बित है। बैठक में उपस्थित पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि आज ही बुडको के कार्यालय में जाकर प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति के संबंध में कार्रवाई करें।
- **रिविलगंज:–** कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक–20.06.2019 तक सभी वार्डों में निविदा से संबंधित कार्य पूर्ण हो जाएगा।
- **बड़हिया:–** कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि शेष 6 वार्डों की निविदा दो दिनों में IPRD में प्रकाशनार्थ भेज दी जाएगी।
- **झाझा:–** कार्यपालक पदाधिकारी को गृह जल संयोजन में तेजी जाने का निदेश दिया गया।
- **फारबिसगंज:–** कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया 3 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है तथा 2 वार्ड में कार्यादेश दिया गय है। निकाय में पी0एच0ई0डी0 के पुराने water supply scheme का hand over की कार्रवाई की जा रही है। 9 जगह मिल गया है। इस सप्ताह प्राक्कलन तैयार हो जाएगा।
- **जोगबनी:–** कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि संवेदक निविदा में भाग नहीं ले रहे है। उन्हें निदेश दिया गया कि पी0एच0ई0डी0 के अभियंताओं से समन्वय स्थापित करें तथा संवेदकों के साथ बैठक कर उन्हें निविदा में भाग लेने हेतु प्रेरित करें।
- **शेरघाटी:–** 20 वार्डों (26 योजनाओं) का निविदा किया गया है। दिनांक 15.06.2019 तक निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। उन्हें निदेश दिया गया कि तुरंत कार्य प्रारम्भ कराए।

- **नवीनगरः–** कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 3 वार्ड का कार्य पूर्ण है। बिजली विभाग से विद्युत कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। उन्हें निदेश दिया गया कि जिला पदाधिकारी से सम्पर्क कर विद्युत कनेक्शन के लिए अनुरोध करें।
- **कसबाः–** कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 4 वार्ड में पुनर्निविदा की गई है। 4 वार्ड का तुलनात्मक विवरणी तथा 7 वार्ड का तकनीकी स्वीकृति बुडको में भेजा गया है। उन्हें निदेश दिया गया कि आज ही बुडको के कार्यालय में संबंधित पदाधिकारी से सम्पर्क कर कार्य कराए।
- **बारसोईः–** कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 11 वार्डों का प्राक्कलन बन गया है। दिनांक–20.06.2019 तक निविदा अवश्य हो जाएगा। बैठक में निदेश दिया गया कि कटिहार के बुडको के कार्यपालक अभियंता बारसोई में कैम्प कर शेष वार्डों का तुरंत प्राक्कलन तैयार कराए।
- **सोनुपरः–** कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अवशेष 03 वार्ड की निविदा दो दिनों में भेज दी जाएगी।
- **मोहनियांः–** कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि निकाय में स्थित पी0एच0ई0डी0 का water supply scheme non-functional है तथा काफी पुराना है। उन्हें निदेश दिया गया कि नल–जल योजना में पी0एच0ई0डी0 के द्वारा created water source का उपयोग अवश्य करें, गृह जल संयोजन का कार्य कराए। पी0एच0ई0डी0 के water supply scheme का हस्तानान्तरण ले लिया जाए।
- **अमरपुरः–** कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 10 वार्ड पी0एच0ई0डी0 द्वारा शत–प्रतिशत किया जा रहा है। 4 वार्ड नगर निकाय द्वारा किया जा रहा है। 7 योजना चल रही है तथा कुल 04 वार्ड पूर्ण हुआ है। उन्हें निदेश दिया गया कि नल–जल योजना के संबंध में स्पष्ट स्थिति प्रतिवेदित करें।
- **बांकाः–** कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 15 वार्डों में पी0एच0ई0डी0 की आंशिक जलापूर्ति है। पी0एच0ई0डी0 की योजना 1967 की है तथा 3 water supply scheme में से 1 water supply scheme चल रहा है, 2 पूर्णतः बंद है। उन्हें निदेश दिया गया कि पी0एच0ई0डी0 से handover लेकर created water source का पूर्ण उपयोग करते हुए कार्य कराए।
- **नरकटियागंजः–** कार्यपालक पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि दिनांक 20.06.2019 तक सभी वार्डों की निविदा प्रकाशित कराए।
- **चनपटियाः–** कार्यपालक पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे IPRD में सम्पर्क कर निविदा प्रकाशित करायें।
- **मीरगंजः–** कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सभी वार्डों की निविदा प्रक्रिया पूर्ण है। 5 वार्डों में कार्य प्रारम्भ है। शेष वार्डों के निविदा का तुलनात्मक विवरणी प्राप्त हो गया है तथा 2 वार्डों का एकरारनामा कर लिया गया है। उन्हें निदेश दिया गया कि सभी एकरारनामा कर कार्य तुरंत शुरू कराए।
- **मधुबनीः–** कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि शेष 05 वार्डों की निविदा का निविदा आमंत्रण सूचना इस सप्ताह प्रकाशनार्थ भेज दिया जाएगा।
- **कहलगांवः–** कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक–15.06.2019 तक शेष वार्डों के निविदा प्रकाशनार्थ भेज दी जाएगी। 4 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है। उनके द्वारा बताया गया कि कुछ वार्डों में rocky area के कारण कार्य करने में कठिनाई हो रही है। उन्हें निदेश दिया गया कि उक्त स्थिति के संबंध में प्रस्ताव बनाकर विभाग में भेजे ताकि निर्णय लिया जा सके।
- **शिवहरः–** कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि एक सप्ताह में 3 वार्डों की निविदा प्रकाशनार्थ भेज दी जाएगी।

<u>अन्यान्यः–</u>

1) सभी निकाय दिनांक–20.06.2019 तक नल–जल योजना के सभी वार्डों के निविदा की प्रक्रिया पूर्ण कर लें।
2) पी0एच0ई0डी0 की पुरानी योजना जिसका design peroid समाप्त हो गया है इसका पूर्ण हस्तांतरण ले ले तथा उनके द्वारा created water source का पूर्ण उपयोग कर गृह जल संयोजन कराए। जहाँ water source created है वहाँ बोरिंग का कार्य निश्चय योजना के अन्तर्गत नहीं कराए।
3) IPRD से विभाग की सहमति बनी है कि नल–जल योजना तथा solid waste management के किसी कार्य की निविदा नहीं रोकी जाएगी। अतः सभी निकाय IPRD में निविदा प्राप्त कराए तथा उनसे CFMS से भुगतान की प्रक्रिया जान लें। क्रियान्वित योजनाओं का गुणवत्ता की जाँच अवश्य करें। कार्यपालक पदाधिकारी स्वंय हरेक वार्ड में जाकर कार्य की जाँच करें।
4) Water quality test PHED के निकटतम स्थानीय कार्यालय से अवश्य कराए तथा जाँच फल की एक प्रति मुख्यालय को भी भेजें। अगर पानी की treatment की आवश्यकता है तो मॉडल प्राक्कलन के अनुसार treatment हेतु आवश्यक removal plant लगाए।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

19/6/2019

(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक–3037 न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 20/6/19

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर निगम, सभी नगर परिषद एवं सभी नगर पंचायत/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/सभी विभागीय पदाधिकारी/अभियंत्रण कोषांग/MIS Cell/SPMG Cell/आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/6/2019

प्रधान सचिव